उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–485/ix-1/2023-195/ix-1/2004 T.C.
देहरादूनः दिनांक 08 अगस्त, 2023

अधिसूचना संख्या– /ix-1/2023-195/ix-1/2004 T.C. दिनांक अगस्त, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 की अधिसूचना की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री/मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. आयुक्त, गढ़वाल व कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लीथो प्रेस, इण्डस्ट्रियल एरिया, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियाँ परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. मीडिया प्रभारी सचिवालय/मीडिया सेन्टर, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

संलग्नक–यथोक्त।

(आशुतोष शुक्ल)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 484/ix-1/2023–195/ix-1/2004टीसी
देहरादूनः दिनांक 08 अगस्त, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 वर्ष 2003) की धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ट) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 है। (2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 5 का संशोधन	2	उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए नियम 5 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप नियम रख दिए जाएगें, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित नियम
5(2) कार्यकारणी अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन परिवहन आयुक्त कार्यालय के उपलब्ध कर्मचारिवृन्दों से करायेगी। कार्यकारणी का स्वरूप निम्नवत् होगा:–	5(2) कार्यकारणी अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन परिवहन आयुक्त कार्यालय के उपलब्ध कर्मचारिवृन्दों से करायेगी। कार्यकारणी का स्वरूप निम्नवत् होगा:–
(एक) परिवहन आयुक्त– अध्यक्ष	(एक) परिवहन आयुक्त– अध्यक्ष
(दो) अपर परिवहन आयुक्त या मुख्यालय पर तैनात सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से अनिम्न अधिकारी, जब अपर परिवहन आयुक्त उपलब्ध न हो अथवा पद रिक्त हो– सदस्य सचिव	(दो) **संयुक्त परिवहन आयुक्त अथवा सहायक परिवहन आयुक्त से अनिम्न अधिकारी–** सदस्य सचिव
(तीन) सम्बन्धित जिले से सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी– सदस्य	(तीन) **सम्बन्धित जिले से सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)–** सदस्य
(चार) सम्बन्धित जनपद के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी– सदस्य	(चार) **सम्बन्धित जनपद के मुख्यालय से सम्बन्धित उप संभाग के सहायक सम्भागीय परिवहन**

C.S.BISHT,\Documents\P.K. Verma\New Cabinate Note_19-07-2017\Niyamawali

			अधिकारी (प्रवर्तन)— सदस्य
		(पांच) परिवहन विभाग के वित्त नियंत्रक या उनके द्वारा कोई नामित विभाग का वित्त सेवा का अधिकारी— सदस्य	(पांच) परिवहन विभाग के वित्त नियंत्रक या उनके द्वारा कोई नामित विभाग का परिवहन विभाग का वित्त सेवा का अधिकारी— सदस्य **टिप्पणी**—जिन कार्यालयों में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) की तैनाती नहीं होगी, वहां पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) कार्यकारिणी के सदस्य होंगे।
नियम 8 का संशोधन	3	मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए नियम 8 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम (2) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—	
		स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **प्रतिस्थापित नियम**
		(2) निधि में सार्वजनिक संस्थाओं, न्यासों, निगमित निकायों एवं केन्द्र तथा राज्य सरकारों से प्राप्त दान, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन अद्गृहीत अधिभार और धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त कर के इक्कीसवें भाग के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट कराधान अधिकारी द्वारा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे दुर्घटना राहत निधि के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत अपर परिवहन आयुक्त द्वारा इस निमित्त भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में खोले गये बचत बैंक खाते में जमा किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि किसी सम्भाग/उपसम्भाग अथवा चैकपोस्ट पर भारतीय स्टेट बैंक की सी0बी0एस0 शाखा उपलब्ध है, तो उक्त क्षेत्र का कराधान अधिकारी बैंक ड्राफ्ट के स्थान पर उपरोक्त धनराशि सीधे खाते में जमा करायेगा और उसकी सूचना मासिक/क्रमिक रूप से परिवहन आयुक्त को प्रेषित करेगा।	(2) निधि में सार्वजनिक संस्थाओं, न्यासों, निगमित निकायों एवं केन्द्र, राज्य सरकारों से प्राप्त दान तथा अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित मोटर यान कर के भाग के समतुल्य धनराशि कराधान अधिकारी द्वारा इस निमित्त "अधिसूचित बैंक" में परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा की जायेगी। कराधान अधिकारी द्वारा जमा की गयी धनराशि की सूचना मासिक/ संचयी रूप से परिवहन आयुक्त को प्रेषित की जायेगी।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)

सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification No. – 484 /IX-1/2023-195/IX-1/2004 T.C. Dehradun: Dated 08 August, 2023.

Government of Uttarakahnd
Transport Section -1
No. 484 /IX-1/2023-195/IX-1/2004T.C.
Dehradun: Dated 08 August, 2023

<u>NOTIFICATION</u>

In exercise of the powers conferred by clause (K) of sub rule (2) of rule 28 of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reform Act, 2003, the Governor is pleased to make the following rules in view of further amend the Uttarakhand Road Transport Accident Relief Fund Rules, 2008.

The Uttarakhand Road Transport Accident Relief Fund (Second Amendment) Rules, 2023.

Short Title and Commence -ment	**1**	(1) These rules may be called 'The Uttarakhand Road Transport Accident Relief Fund (Second Amendment) Rules, 2023'. (2) It shall come into force at once.
Amendmen t of Rule 5(2)	**2**	In the Uttarakhand Road Transport Accident Relief Fund (here in after referred to as principal rules) for the existing sub rule (2) of rules 5 as set out in column I below the rule as set out in column II shall be substituted, namely- **Column-I Existing Rule** 5(2) The Executive shall efficiently discharge its functions through the existing staff of the Transport Commissioner Office. The Constitution of the executive shall be following:- (i) Transport Commissioner- Chairperson (ii) Additional Transport Commissioner or in the absence of Additional Transport Commissioner ot post lying vacant and officer not below the rank of Assistant Transport Commissioner Posted at head quarter Secretary Member **Column-II Substituted Rule** 5(2) The Executive shall efficiently discharge its functions through the existing staff of the Transport Commissioner Office. The Constitution of the executive shall be following:- (i) Transport Commissioner- Chairperson (ii) Joint Transport Commissioner or an officer not below the rank of Assistant Transport Commissioner Secretary Member

		(iii) Concerning Regional Transport officer of the district concerned - Member	(iii) Regional Transport officer (Enforcement) of district concerned- Member
		(iv) Assistant Regional Transport officer of the concerned district- Member	(iv) Assistant Regional Transport officer (Enforcement) of concerned sub region from Head quarter of the concerned District- Member
		(v) Finance Controller member of Transport Department or an officer of finance services of Transport Department nomimated by him- Member	(v) Finance Controller of Transport Department or an officer of finance services of Transport Department nominated by him- Member **Explanation-**Those office where Assistant Regional Transport Officer (enforcement) is not posted the Assistant Regional Transport Officer (Administration) shall be the Member of executive.
Amendment of Rule 8	3	In the Principal Rules, for the existing sub rule (2) of rules 8 as set out in column I below the rule as set out in column II shall be substituted, namely-	
		Column-I **Existing Rule**	**Column-II** **Substituted Rule**
		(2) Donation Received from public institution, trusts, corporate bodies, Central and State Government and bank draft of the amount of the surcharge levied under sub-section (3) of section 6 and of the amount equivalent to one out of twenty one parts of the additional tax levied under sub- sections (1) and (2) of section 6, shall be made available to the chairperson Uttarakhand Road Transport Accident Relief Fund by the taxation officer for accident relief fund. It shall be	(2) Donations received from public institutions, trusts, corporate bodies, central and state governments and an amount equivalent to the portion of motor vehicle tax prescribed under sub-section (1) of section 8 of the Act, shall be deposited by the taxation officer in the saving bank account opened in the "Schedule Bank" in this behalf. As per procedure prescribed by Transport Commissioner. The taxation officer shall send its information monthly/ cummulative to the Transport Commissioner.

		deposited in the saving bank account opened for thes purpose by Additinal Transport Commissioner authorised by the chairperson of the Accident Relief Fund at the main branch of the State bank of India Provided also that if C.B.S. branch of The State Bank of India is availble in any region/sub region or check post then the taxation officer of that area, instead of bank draft, shall directly deposit the said amount in the account and shall send its monthly/progressive report to the Transport Commissioner.	

By order,

(Arvind Singh Hyanki)
Secretary.